

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

73/2025

श्री चंचल महेश्वरी निवासी 112/190 सेक्टर 11 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर राज.

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 07.10.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 03.05.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

खसरा नं. 1950 व 1957 वाके ग्राम चांदसेन तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज.) के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा वाद संख्या 326/2013 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निपेधाज्ञा 296/2013 माफी मन्दिर श्री कल्याण जी महाराज व रनेहलता अन्य के विवाद के सम्बंध में की गई कार्यवाही (यदि हा)की दिनांक 21.10.2013 से 31.12.2014 तक की प्रमाणित छाया प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को पत्र क्रमांक 1632 दिनांक 20.08.2025, 1754 दिनांक 4.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से उनके प्रतिनिधि दिनांक 4.09.2025 को उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा ने पत्र क्रमांक 4868 दिनांक 04.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 2349 दिनांक 06.05.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 2350 दिनांक 06.05.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र क्रमांक 1851 दिनांक 23.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य

726



[Signature]

जिला कलेक्टर
टोंक

सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।




(कल्पना अग्रवाल)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक
टोंक